

Gandhi Minocha & Co.  
Chartered Accountants,  
B-6, Shakti Nagar Extension,  
New Delhi – 110 052

Dass Gupta & Associates  
Chartered Accountants,  
B-4, Gulmohar Park,  
New Delhi – 110 049

---

**Independent Auditor's Report on the Quarterly and Year to Date Standalone Financial Results of the Power Finance Corporation Limited Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirement) Regulations, 2015**

To  
The Board of Directors of  
Power Finance Corporation Limited

**Opinion**

We have audited the accompanying standalone quarterly and year to date financial results of Power Finance Corporation Limited ("the Company") for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 ("the statement"), attached herewith, being submitted by the Company pursuant to the requirement of Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, these standalone financial results:

- i. are presented in accordance with the requirements of the Listing Regulations in this regard; and
- ii. give a true and fair view in conformity with the recognition and measurement principles laid down in the applicable Indian Accounting Standards (IND AS) and other accounting principles generally accepted in India, of the net profit and other comprehensive income and other financial information of the Company for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2020.

**Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013 (the Act). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Results section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial results under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and



the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### **Emphasis of matter**

We draw attention to Note No. 13 of the financial results regarding the impact of COVID-19 pandemic on the Company. Management is of the view that there are no reasons to believe that the pandemic will have any significant impact on the ability of the company to continue as a going concern. Nevertheless, the impact in sight of evolution of pandemic in future period is uncertain and could impact the impairment allowance in future years.

Our opinion is not modified in respect of the matter.

#### **Management's Responsibilities for the Standalone Financial Results**

The statement has been prepared on the basis of the standalone annual financial statements. The Board of Directors of the Company are responsible for the preparation and presentation of the statement that give a true and fair view of the net profit and other comprehensive income of the Company and other financial information in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the applicable Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under Section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 and Regulation 52 of the Listing Regulations. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the statement, the Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

#### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Results**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the statement as a whole is free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of



assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the statement.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the statement, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion through a separate report on complete set of financial statements on whether the company has adequate internal finance control with reference to financial statement in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial results or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the statement, including the disclosures, and whether the statement represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



**Other Matters**

1. This statement includes the result for the quarter ended 31<sup>st</sup> March, 2020 being the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 and the published unaudited year-to-date figures upto the third quarter of the current financial year, which were subjected to a limited review by us, as required under the Listing Regulations.
2. The Company has recognized expected credit loss in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of documents provided by independent expert agency appointed by the Company. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise, we have relied on the expected credit loss calculation as provided by the said independent expert agency.
3. The standalone financial statements of the Company for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2019 were audited by the then joint auditors of the Company one of whom is the predecessor audit firms, and have expressed an unmodified opinion vide their reports dated 29<sup>th</sup> May, 2019 on such financial statements.

Our opinion on the Statement is not modified in respect of above matters.

**For GANDHI MINOCHA & CO.**

*Chartered Accountants*

Firm's Registration No.: 000458N

  
**CA Manoj Bhardwaj**

*Partner*

Membership No.098606

UDIN: 20098606 AAAABT9906

**For DASS GUPTA & ASSOCIATES**

*Chartered Accountants*

Firm's Registration No.: 000112N

  
**CA Ashok Kumar Jain**

*Partner*

Membership No. 090563

UDIN: 20090563 AAAA03554

**Dated: 24<sup>th</sup> June, 2020**

**Place: New Delhi**

---

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जा निधि 1, बाराखंबा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए एकल वित्तीय परिणाम का विवरण

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं.      | विवरण  | समाप्त तिमाही   |                 |                 | समाप्त वर्ष      |                  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|              |  | 31.03.2020      | 31.12.2019      | 31.03.2019      | 31.03.2020       | 31.03.2019       |
|              |  | (अंकेक्षित)     | (अनंकेक्षित)    | (अंकेक्षित)     | (अंकेक्षित)      | (अंकेक्षित)      |
|              | <b>परिचालनों से राजस्व</b>                                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| (i)          | ब्याज आय   | 8,285.26        | 8,144.03        | 7,628.62        | 31,950.42        | 28,432.68        |
| (ii)         | लाभांश आय  | 1,262.87        | 25.41           | 42.17           | 1,289.52         | 167.03           |
| (iii)        | शुल्क एवं कमीशन आय   | 4.25            | 41.22           | 22.55           | 122.96           | 149.02           |
| <b>I.</b>    | <b>परिचालनों से कुल राजस्व</b>                             | <b>9,552.38</b> | <b>8,210.66</b> | <b>7,693.34</b> | <b>33,362.90</b> | <b>28,748.73</b> |
| <b>II.</b>   | <b>अन्य आय</b>   | <b>0.20</b>     | <b>0.96</b>     | <b>9.31</b>     | <b>8.16</b>      | <b>17.58</b>     |
| <b>III.</b>  | <b>कुल आय (I+II)</b>                                       | <b>9,552.58</b> | <b>8,211.62</b> | <b>7,702.65</b> | <b>33,371.06</b> | <b>28,766.31</b> |
|              | <b>व्यय</b>  |                 |                 |                 |                  |                  |
| (i)          | वित्तीय लागतें   | 5,550.32        | 5,497.92        | 4,985.77        | 21,853.19        | 18,987.60        |
| (ii)         | निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)                   | 1,752.03        | 343.78          | (98.55)         | 2,633.42         | 520.25           |
| (iii)        | शुल्क एवं कमीशन व्यय                                       | 4.10            | 2.58            | 3.90            | 10.76            | 10.09            |
| (iv)         | उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)                     | (436.50)        | (55.17)         | 283.46          | (699.05)         | (84.98)          |
| (v)          | वित्तीय लिखत पर क्षति                                      | 432.70          | (53.35)         | (509.66)        | 991.22           | (871.48)         |
| (vi)         | कार्मिक हितलाभ व्यय  | 37.97           | 46.75           | 37.80           | 193.82           | 173.57           |
| (vii)        | मूल्यहास एवं परिशोधन                                       | 2.90            | 2.46            | 1.94            | 9.10             | 6.14             |
| (viii)       | निगमित सामाजिक दायित्व व्यय                                | 52.55           | 8.32            | 44.30           | 97.15            | 100.50           |
| (ix)         | अन्य व्यय  | 28.70           | 22.88           | 37.69           | 88.91            | 108.83           |
| <b>IV.</b>   | <b>कुल व्यय</b>  | <b>7,424.77</b> | <b>5,816.17</b> | <b>4,786.65</b> | <b>25,178.52</b> | <b>18,950.52</b> |
| <b>V.</b>    | <b>असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)</b>    | <b>2,127.81</b> | <b>2,395.45</b> | <b>2,916.00</b> | <b>8,192.54</b>  | <b>9,815.79</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>असाधारण मदें</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>VII.</b>  | <b>कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)</b>                          | <b>2,127.81</b> | <b>2,395.45</b> | <b>2,916.00</b> | <b>8,192.54</b>  | <b>9,815.79</b>  |
|              | <b>कर व्यय:</b>  |                 |                 |                 |                  |                  |
|              | (1) वर्तमान कर:  |                 |                 |                 |                  |                  |
|              | वर्तमान वर्ष   | 275.89          | 461.57          | 720.30          | 1,406.73         | 2,346.50         |
|              | पूर्ववर्ती वर्ष  | 17.75           | -               | 1.22            | 17.75            | 1.22             |
|              | (2) आस्थगित कर#  | 399.17          | 253.76          | 76.92           | 1,112.92         | 515.15           |
| <b>VIII.</b> | <b>कुल कर व्यय</b>   | <b>692.81</b>   | <b>715.33</b>   | <b>798.44</b>   | <b>2,537.40</b>  | <b>2,862.87</b>  |
| <b>IX.</b>   | <b>जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)</b> | <b>1,435.00</b> | <b>1,680.12</b> | <b>2,117.56</b> | <b>5,655.14</b>  | <b>6,952.92</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

|   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>XI.</b>  | <b>अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचालनों से) (IX+X)</b>                 | <b>1,435.00</b> | <b>1,680.12</b> | <b>2,117.56</b> | <b>5,655.14</b> | <b>6,952.92</b> |
| <b>XII.</b>   | <b>अन्य व्यापक आय</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>(क)</b>  | (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | - परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन  | (2.37)          | (3.17)          | (7.95)          | (5.09)          | (3.63)          |
|   | - इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)                                  | (212.46)        | 56.49           | (57.79)         | (287.11)        | (154.88)        |
|   | (ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा   |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | - परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन  | 0.14            | 0.26            | 0.37            | 0.08            | 1.69            |
|   | <b>उप कुल (क)</b>  | <b>(214.69)</b> | <b>53.58</b>    | <b>(65.37)</b>  | <b>(292.12)</b> | <b>(156.82)</b> |
| <b>(ख)</b>  | (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा                         |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | -नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग                  | (66.94)         | 33.15           | (45.07)         | (46.74)         | (77.08)         |
|   | (ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा        |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | - नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग                 | 16.85           | (8.35)          | 15.74           | 4.23            | 26.93           |
|   | <b>उप कुल (ख)</b>  | <b>(50.09)</b>  | <b>24.80</b>    | <b>(29.33)</b>  | <b>(42.51)</b>  | <b>(50.15)</b>  |
|   | <b>अन्य व्यापक आय (क+ख)</b>  | <b>(264.78)</b> | <b>78.38</b>    | <b>(94.70)</b>  | <b>(334.63)</b> | <b>(206.97)</b> |
| <b>XIII.</b>  | <b>अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)</b>  | <b>1,170.22</b> | <b>1,758.50</b> | <b>2,022.86</b> | <b>5,320.51</b> | <b>6,745.95</b> |
| <b>XIV.</b>   | प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)                      | 2,640.08        | 2,640.08        | 2,640.08        | 2,640.08        | 2,640.08        |
| <b>XV.</b>  | अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)                         | लागू नहीं       | लागू नहीं       | लागू नहीं       | 42,524.05       | 40,647.91       |
| <b>XVI.</b>   | <b>मूल एवं तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए):</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | (1) जारी परिचालनों के लिए (₹ में)  | 5.44            | 6.36            | 8.02            | 21.42           | 26.34           |
|   | (2) बंद परिचालनों के लिए (₹ में)   | -               | -               | -               | -               | -               |
|   | (3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (₹ में)  | 5.44            | 6.36            | 8.02            | 21.42           | 26.34           |
| #इसमें करायान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अनुसार निगमित कर की दर में कमी के कारण दिनांक 31.03.2019 तक डीटीए में से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,127.53 करोड़ रुपए के आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) की वापसी शामिल है। |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| * तिमाही एवं नौ माह के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| एकल वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।   |  |                 |                 |                 |                 |                 |

| एकल वित्तीय परिणाम के लिए टिप्पणी:     |   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 1. परिसंपत्ति एवं देयताओं का एकल विवरण |   |                   |                   |
|  |   | (करोड़ रुपए में)  |                   |
| क्र.सं.                                | विवरण   | 31.03.2020 तक     | 31.03.2019 तक     |
|  |   | (अंकेक्षित)       | (अंकेक्षित)       |
|  | <b>परिसंपत्तियां</b>                                |                   |                   |
| <b>1</b>                               | <b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>                        |                   |                   |
| (क)                                    | नकदी एवं नकदी समतुल्य                               | 182.52            | 310.09            |
| (ख)                                    | नकदी एवं नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक में जमा राशि | 16.47             | 13,890.52         |
| (ग)                                    | डेरिवेटिव वित्तीय लिखत                              | 1,863.42          | 567.98            |
| (घ)                                    | ऋण  | 334,112.60        | 303,210.36        |
| (ङ)                                    | निवेश   | 16,473.32         | 16,586.20         |
| (च)                                    | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां                          | 5,339.12          | 5,330.96          |
|  | <b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)</b>                | <b>357,987.45</b> | <b>339,896.11</b> |
| <b>2</b>                               | <b>गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां</b>                    |                   |                   |
| (क)                                    | वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)                     | 651.31            | 498.42            |
| (ख)                                    | आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)                     | 2,952.12          | 4,060.73          |
| (ग)                                    | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर                          | 31.35             | 27.74             |
| (घ)                                    | अमूर्त परिसंपत्तियां                                | 0.41              | 0.59              |
| (ङ)                                    | राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां                           | 35.75             | -                 |
| (च)                                    | अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां                      | 128.87            | 242.09            |
|  | <b>कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)</b>            | <b>3,799.81</b>   | <b>4,829.57</b>   |
|  | <b>कुल परिसंपत्तियां (1+2)</b>                      | <b>361,787.26</b> | <b>344,725.68</b> |
|  | <b>देयताएं एवं इक्विटी</b>                          |                   |                   |
|  | <b>देयताएं</b>                                      |                   |                   |
| <b>1</b>                               | <b>वित्तीय देयताएं</b>                              |                   |                   |
| (क)                                    | डेरिवेटिव वित्तीय लिखत                              | 599.82            | 505.59            |
| (ख)                                    | ऋण प्रतिभूतियां                                     | 221,847.67        | 205,584.49        |
| (ग)                                    | ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)                        | 79,116.06         | 80,344.69         |
| (घ)                                    | अधीनस्थ देयताएं                                     | 9,310.95          | 9,309.70          |
| (ङ)                                    | अन्य वित्तीय देयताएं                                | 5,375.16          | 5,327.84          |
|  | <b>कुल वित्तीय देयताएं (1)</b>                      | <b>316,249.66</b> | <b>301,072.31</b> |
| <b>2</b>                               | <b>गैर-वित्तीय देयताएं</b>                          |                   |                   |
| (क)                                    | वर्तमान कर देयताएं (निवल)                           | 0.11              | 0.53              |
| (ख)                                    | प्रावधान  | 264.29            | 264.00            |
| (ग)                                    | अन्य गैर-वित्तीय देयताएं                            | 109.07            | 100.85            |
|  | <b>कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)</b>                  | <b>373.47</b>     | <b>365.38</b>     |
|  | <b>कुल देयताएं (1+2)</b>                            | <b>316,623.13</b> | <b>301,437.69</b> |
| <b>3</b>                               | <b>इक्विटी</b>                                      |                   |                   |
| (क)                                    | इक्विटी शेयर पूंजी                                  | 2,640.08          | 2,640.08          |
| (ख)                                    | अन्य इक्विटी  | 42,524.05         | 40,647.91         |
|  | <b>कुल इक्विटी (3)</b>                              | <b>45,164.13</b>  | <b>43,287.99</b>  |
|  | <b>कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3)</b>              | <b>361,787.26</b> | <b>344,725.68</b> |

2. दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का एकल विवरण

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | विवरण  | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष |  | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष |  |
|---------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| I.      | परिचालन संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :-              |                           |  |                           |  |
|         | कर पूर्व लाभ   | 8,192.54                  |  | 9,815.79                  |  |
|         | <b>निम्नलिखित के लिए समायोजन :</b>                       |                           |  |                           |  |
|         | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विमान्यता पर हानि (निवल)   | 0.96                      |  | 0.32                      |  |
|         | मूल्यहास एवं परिशोधन                                     | 9.10                      |  | 6.14                      |  |
|         | जीरो कूपन बॉण्ड एवं वाणिज्यिक पेपरों पर ब्याज व्यय       | 329.58                    |  | (136.83)                  |  |
|         | अप्राप्त विदेशी मुद्रा अंतरण हानि/(लाभ)                  | 2,908.53                  |  | 519.07                    |  |
|         | उचित मूल्य में निवल परिवर्तन                             | (699.05)                  |  | (84.98)                   |  |
|         | ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर का प्रभाव                       | 6.50                      |  | (10.47)                   |  |
|         | वित्तीय लिखतों पर क्षति                                  | 991.22                    |  | (871.48)                  |  |
|         | निवेशों पर ब्याज आय                                      | (250.53)                  |  | (288.60)                  |  |
|         | ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज                              | 1.35                      |  | 3.46                      |  |
|         | आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान      | 0.17                      |  | 5.86                      |  |
|         | आधिक्य देयताओं का प्रतिलेखन                              | (0.18)                    |  | -                         |  |
|         | सेवा-निवृत्ति हितलाभ आदि के लिए प्रावधान                 | 44.44                     |  | 56.09                     |  |
|         | लाभांश आय  | (1,289.52)                |  | (167.03)                  |  |
|         | ऋणों/ऋण प्रतिभूतियों/अधीनस्थ देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर | (188.06)                  |  | (0.35)                    |  |
|         | आयकर रिफंड पर ब्याज                                      | (0.66)                    |  | (8.29)                    |  |
|         | लीज देयता पर ब्याज व्यय                                  | 0.77                      |  | -                         |  |
|         | <b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ:</b>   | <b>10,057.16</b>          |  | <b>8,838.71</b>           |  |
|         | <b>वृद्धि/ कमी :</b>                                     |                           |  |                           |  |
|         | ऋण (निवल)  | (32,097.93)               |  | (36,321.76)               |  |
|         | अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां               | 13,891.09                 |  | (13,895.53)               |  |
|         | डेरिवेटिव  | (504.95)                  |  | 11.00                     |  |
|         | अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान        | 154.44                    |  | (668.69)                  |  |
|         | <b>कर पूर्व परिचालनों से नकदी प्रवाह</b>                 | <b>(8,500.19)</b>         |  | <b>(42,036.27)</b>        |  |
|         | प्रदत्त आयकर   |                           |  |                           |  |



|             |   |             |                    |             |                    |
|-------------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|             |   | (1,584.39)  |                    | (2,544.76)  |                    |
|             | आयकर रिफंड  | 59.03       |                    | 81.34       |                    |
|             | <b>परिचालन संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>                        |             | <b>(10,025.55)</b> |             | <b>(44,499.69)</b> |
| <b>II.</b>  | <b>निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:</b>                         |             |                    |             |                    |
|             | संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान से आय                                 | 0.07        |                    | 0.11        |                    |
|             | संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की खरीद   | (13.11)     |                    | (7.93)      |                    |
|             | सहायक कंपनियों में निवेश  | -           |                    | (14,500.00) |                    |
|             | निवेश पर ब्याज आय   | 250.32      |                    | 243.25      |                    |
|             | निवेश पर लाभांश   | 1,289.52    |                    | 167.03      |                    |
|             | अन्य निवेशों में वृद्धि/कमी   | 29.12       |                    | 277.97      |                    |
|             | <b>निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी</b>                       |             | <b>1,555.92</b>    |             | <b>(13,819.57)</b> |
| <b>III.</b> | <b>वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :</b>                                  |             |                    |             |                    |
|             | बॉण्ड जारी करना (प्रीमियम सहित) (रीडेंप्शन का निवल)                         | 6,244.24    |                    | (8,957.74)  |                    |
|             | दीर्घावधि ऋणों का निर्माचन (पुनर्भुगतान का निवल)                            | 10,895.44   |                    | 35,678.55   |                    |
|             | विदेशी मुद्रा ऋणों का निर्माचन (पुनर्भुगतान का निवल)                        | 15,293.94   |                    | 9,634.40    |                    |
|             | अधीनस्थ देयताओं का निर्माचन (रीडेंप्शन का निवल)                             | 0.00        |                    | 5,411.50    |                    |
|             | वाणिज्यिक पेपरों का निर्माचन (पुनर्भुगतान का निवल)                          | (10,000.00) |                    | 2,970.00    |                    |
|             | कार्यशील मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट का निर्माचन (पुनर्भुगतान का निवल) | (11,318.82) |                    | 13,357.18   |                    |
|             | अदावी बॉण्ड (निवल)  | 0.59        |                    | (2.78)      |                    |
|             | अदावी लाभांश (निवल)   | 0.32        |                    | 0.53        |                    |
|             | अंतरिम लाभांश का भुगतान   | (2,508.08)  |                    | -           |                    |
|             | निगमित लाभांश कर का भुगतान  | (264.79)    |                    | -           |                    |
|             | लीज देयता का भुगतान   | (0.77)      |                    | -           |                    |
|             | <b>वित्तीय गतिविधियों से निवल अंतर-प्रवाह</b>                               |             | <b>8,342.06</b>    |             | <b>58,091.65</b>   |
|             | <b>नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी</b>                            |             | <b>(127.57)</b>    |             | <b>(227.62)</b>    |
|             | जोड़ें: वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नकदी एवं नकदी समतुल्य                    |             | 310.09             |             | 537.71             |
|             | <b>वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>                        |             | <b>182.52</b>      |             | <b>310.09</b>      |
|             | <b>वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्यौरा :</b>            |             |                    |             |                    |
|             | i) बैंक में जमा राशि (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति के)                  |             |                    |             |                    |
|             | चालू खाते में   | 182.52      |                    | 8.48        |                    |
|             | सावधि जमा खाते में  | -           | 182.52             | 301.61      | 310.09             |
|             | ii) पोस्टेज एवं इंप्रेस्ट सहित चेक, ड्राफ्ट                                 |             | -                  |             | -                  |

|  | वित्तीय वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य  | 182.52           | 310.09        |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
|--|--|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------|-------|----------------------------------|---------------|----|--|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------|----|----------------------------------|--------|--------|--|--|
| 3  | कंपनी के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 24.06.2020 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। इनकी सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं 52 के अनुसार कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक गांधी मिनीचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है।   |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 4  | वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित इंड एस और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।  |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 5  | <p>इंड एस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्योरा निम्नानुसार है</p> <table border="1" data-bbox="209 488 1556 667"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: right;">(करोड़ रुपए में)</th> </tr> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>31.03.2020 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण</td> <td>27,871.70</td> <td>29,540.31</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता</td> <td>14,748.46</td> <td>15,201.64*</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)</td> <td>52.92%</td> <td>51.46%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* प्रतिबद्धताओं पर क्षति को शामिल करने के लिए पुनःसमूहित किया गया</p>   |                  |               | (करोड़ रुपए में) |                       | क्र.सं. | विवरण | 31.03.2020 तक                    | 31.03.2019 तक | क) | क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण                       | 27,871.70 | 29,540.31 | ख)                            | अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता | 14,748.46 | 15,201.64* | ग) | क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क) | 52.92% | 51.46% |  |  |
|  |  | (करोड़ रुपए में) |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| क्र.सं.                                      | विवरण  | 31.03.2020 तक    | 31.03.2019 तक |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| क)   | क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण   | 27,871.70        | 29,540.31     |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| ख)   | अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता   | 14,748.46        | 15,201.64*    |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| ग)   | क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)   | 52.92%           | 51.46%        |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 6  | विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।  |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 7  | कंपनी ने दिनांक 30.03.2019 के कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियमावली, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके दिनांक 01.04.2019 से इंड एस 116 - 'लीज' को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप 36.20 करोड़ रुपए का 'राइट टू यूज एसेट' और 8.81 करोड़ रुपए की 'लीज देयता' को मान्यता मिली है। दिनांक 31.03.2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लाभ पर प्रभाव भौतिक नहीं है।  |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 8  | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा यथा स्थापित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमत विकल्प का उपयोग किया है। तदनुसार, कंपनी ने आयकर के लिए प्रावधान को मान्यता दी गई है तथा धारा 115बीए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता को पुनः मापा है।   |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 9  | कंपनी द्वारा जारी और 31.03.2020 तक बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्डों के लिए, कंपनी की निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और मोर्टगेज और/या प्राप्तियों पर चार्ज द्वारा 100% सुरक्षा कवर अनुरक्षित किया गया है।  |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 10   | <p>यथा संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) के अंतर्गत अपेक्षित ब्योरे :</p> <table border="1" data-bbox="209 1211 1556 1413"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>31.03.2020 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) ऋण इक्विटी अनुपात</td> <td>6.72</td> <td>6.66</td> </tr> <tr> <td>(ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(iii) डिबेंचर मोचनीय रिसर्व (करोड़ रुपए में)</td> <td>*</td> <td>2,014.25</td> </tr> <tr> <td>(iv) निवल आय (करोड़ रुपए में)</td> <td>45,164.13</td> <td>43,287.99</td> </tr> </tbody> </table> <p>*कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 के साथ पठित कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कंपनी को डिबेंचर मोचनीय रिसर्व (डीआरआर) को सृजित करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे संशोधन के अनुसरण में, कंपनी की लेखा-बही में विद्यमान पूरे शेयर डीआरआर को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जनरल रिसर्व में हस्तांतरित कर दिया गया है।</p> <p>(v) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी के दीर्घावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल, इकरा और केयर द्वारा दी गई रेटिंग क्रमशः क्रिसिल एएए, इकरा एएए और केयर एएए की सर्वोच्च रेटिंग बनी रहेगी। कंपनी के अल्पावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) के लिए क्रिसिल, इकरा और केयर द्वारा दी गई रेटिंग क्रमशः क्रिसिल ए1+, इकरा ए1+ और केयर ए1+ की सर्वोच्च रेटिंग बनी रहेगी। कंपनी की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पूयर्स द्वारा दी गई रेटिंग क्रमशः बीएए3, बीबीबी- और बीबीबी- बनी रहेगी।</p> <p>(vi) कंपनी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड इश्यू की सीरीज सहित विविध लिखतों के माध्यम से निधियां जुटाती रही है। दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने ऋणों की सर्विसिंग में चूक नहीं की है। गैर-परिवर्तनीय रुपए मूल्यवर्ग बॉण्ड के संबंध में, मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की निर्धारित तारीख क्रमशः 30.03.2020 और 31.03.2020 थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पड़ने वाली सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय रुपए मूल्यवर्ग बॉण्ड पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए तुरंत अगली नियत तारीख क्रमशः 15.04.2020 और 03.04.2020 थी, जिन्हें उक्त नियत तारीखों पर पहले ही चुका दिया गया है।</p> | विवरण            | 31.03.2020 तक | 31.03.2019 तक    | (i) ऋण इक्विटी अनुपात | 6.72    | 6.66  | (ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर | -             | -  | (iii) डिबेंचर मोचनीय रिसर्व (करोड़ रुपए में) | *         | 2,014.25  | (iv) निवल आय (करोड़ रुपए में) | 45,164.13                  | 43,287.99 |            |    |                                  |        |        |  |  |
| विवरण  | 31.03.2020 तक  | 31.03.2019 तक    |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| (i) ऋण इक्विटी अनुपात                        | 6.72   | 6.66             |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| (ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर             | -  | -                |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| (iii) डिबेंचर मोचनीय रिसर्व (करोड़ रुपए में) | *  | 2,014.25         |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| (iv) निवल आय (करोड़ रुपए में)                | 45,164.13  | 43,287.99        |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 11   | सेबी के दिनांक 26.11.2018 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 के अंतर्गत मानदंड के अनुसार कंपनी एक 'बड़ी कॉर्पोरेट' है। स्टॉक एक्सचेंज को आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं, जहां इस संबंध में कंपनी की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है।  |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 12   | इंड एस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।  |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |
| 13   | वैश्विक स्तर पर और भारत में कोरोना वाइरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। दिनांक 11.03.2020 को कोविड-19 प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक एवं भारतीय आर्थिक गतिविधियों में बेहद अड़चन उत्पन्न हुई है। कंपनी द्वारा अनुकूल रीति से व्यवसाय परिचालनों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी गई है। कंपनी का मानना है कि इस प्रकोप का प्रभाव उसके व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर नहीं पड़ेगा। विवरण <b>अनुलग्नक-</b>   |                  |               |                  |                       |         |       |                                  |               |    |  |           |           |                               |                            |           |            |    |                                  |        |        |  |  |

|   |  |
|---|--|
|   | 'क' में संलग्न है।   |
| 14  | दिनांक 31.03.2020 और 31.03.2019 को समाप्त तिमाहियों के आंकड़े दिनांक 31.03.2020 और 31.03.2019 को समाप्त वर्षों के लिए अंकक्षित आंकड़ों तथा दिनांक 31.12.2019 और 31.12.2018 को समाप्त नौ माह के लिए अनंकक्षित आंकड़ों के बीच क्रमशः संतुलित आंकड़े हैं। |
| 15  | पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।  |
| <p>स्थान: नई दिल्ली<br/>तारीख: 24.06.2020</p> <p>आर.एस. दिल्ली<br/>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br/>डीआईएन- 00278074</p> |  |

## कंपनी पर कोविड 19 का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर और भारत में कोरोना वाइरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न हुआ है। सरकार एवं विविध नियामकों ने वाइरस के प्रसार को रोकने और आर्थिक अवरोधों के प्रभाव को कम करने के लिए तब से कई उपाय लागू किए गए हैं। तथापि, कंपनी का मानना है कि इस प्रकोप का प्रभाव उसके व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर नहीं पड़ेगा।

अपने सुदृढ़ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी के साथ, कंपनी ने अपने कार्मिकों को "घर से काम" करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने कंपनी के कार्मिकों को बिजनेस की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम बनाया। कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक लॉकडाउन के पहले सप्ताह के दौरान विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त-पोषण करने के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का संवितरण किया, जो महामारी से सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के प्रयास की गवाही देता है।

आरबीआई ने इस अवधि के दौरान ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने के लिए कई दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। कोविड-19 नियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई के दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएफसी ने पात्र ऋणकर्ताओं को दिनांक 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच पड़ने वाली नियत किस्तों के भुगतान पर अधिस्थगन का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई ने दिनांक 23.05.2020 के परिपत्र के माध्यम से ऋण अधिस्थगन की अवधि को अगले 3 महीने अर्थात् दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया है।

इसके अतिरिक्त, अपने कोविड-19 पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार गारंटीकृत ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को 90,000 करोड़ रुपए के लिक्विडिटी इंजेक्शन की भी घोषणा की है, ताकि सीपीएसई जेनको/ट्रांसको, आईपीपी और आरई उत्पादकों की बकाया देय राशि को क्लियर किया जा सके।

कंपनी अपनी निधियन जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह तैयार है। वर्तमान में, कंपनी के पास विभिन्न बैंकों से पर्याप्त संख्या में अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट हैं। पीएफसी की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकता है।

इस प्रकार, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का अपने परिचालनों को अनुरक्षित करने और कंपनी हेतु चिंता का आकलन करने के लिए कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

इसके अतिरिक्त, अपनी सीएसआर पहल के भाग के रूप में कंपनी ने अप्रैल, 2020 माह में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए पीएम केयर्स फंड में 200 करोड़ रुपए का अंशदान किया। इसके साथ ही, कंपनी के कार्मिकों ने भी उक्त के लिए अपने एक दिन के वेतन का अंशदान किया है। कंपनी द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के एक भाग के रूप में जिला प्रशासनों को वित्तीय सहायता, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सहायता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने जैसी विभिन्न अन्य अखिल भारतीय पहल भी की गई हैं।

Gandhi Minocha & Co.  
Chartered Accountants,  
B-6, Shakti Nagar Extension,  
New Delhi – 110 052

Dass Gupta & Associates  
Chartered Accountants,  
B-4, Gulmohar Park,  
New Delhi – 110 049

---

**Independent Auditor's Report on the Quarterly and Year to Date Consolidated Financial Results of Power Finance Corporation Limited Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirement) Regulations, 2015**

To  
The Board of Directors of  
Power Finance Corporation Limited

**Report on the audit of the Consolidated Financial Results**

**Opinion**

We have audited the accompanying consolidated quarterly and year to date financial results of Power Finance Corporation Limited ("Holding Company") and its subsidiaries (the Company and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and jointly controlled entity for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 ("statement"), attached herewith, being submitted by the Holding Company pursuant to the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirement) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of other auditors on separate audited financial statement/ financial results/financial information of the subsidiaries, associates and jointly controlled entities, the aforesaid consolidated financial results:

- i. include the annual financial results of the following entities:

Subsidiaries:

- REC Limited (formerly 'Rural Electrification Corporation Limited')
- PFC Consulting Limited
- Power Equity Capital Advisors Private Limited (under process of striking off with MCA)

Joint Venture Entity:

- Energy Efficiency Services Limited

Associates:

- Coastal Maharashtra Mega Power Limited
- Orissa Integrated Power Limited
- Coastal Karnataka Power Limited
- Coastal Tamil Nadu Power Limited
- Chhattisgarh Surguja Power Limited
- Deochar Infra Limited
- Bihar Infrapower Limited
- Sakhigopal Integrated Power Company Limited
- Ghogarpalli Integrated Power Company Limited
- Tatiya Andhra Mega Power Limited



- Deoghar Mega Power Limited
  - Cheyyur Infra Limited
  - Odisha Infrapower Limited
  - Bihar Mega Power Limited
  - Jharkhand Infrapower Limited
- ii. are presented in accordance with the requirements of the Listing Regulations in this regard; and
- iii. gives a true and fair view in conformity with the applicable accounting standards and other accounting principles generally accepted in India, of the consolidated net profit and other comprehensive income and other financial information of the Group for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2020.

#### **Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, as amended ("the Act"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Results" section of our report. We are independent of the Group, its associates and jointly controlled entities in accordance with the "Code of Ethics" issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us and other auditors in terms of their reports referred to in "Other Matter" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### **Emphasis of matter**


We draw attention to Note No. 12 of the financial results regarding the impact of COVID-19 pandemic on the Group. Management is of the view that there are no reasons to believe that the pandemic will have any significant impact on the ability of the Group to continue as a going concern. Nevertheless, the impact in sight of evolution of pandemic in future period is uncertain and could impact the impairment allowance in future years.

Our opinion is not modified in respect of the matter.

#### **Management's Responsibilities for the Consolidated Financial Results**

The statement has been prepared on the basis of the consolidated annual financial statements. The Board of Directors of the Holding Company are responsible for the preparation and presentation of the statement that give a true and fair view of the net profit, other comprehensive income and other financial information of the Group including its associates and jointly controlled entities in accordance with the applicable Indian accounting standards (IND AS) prescribed under Section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with the Listing Regulations. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associates and jointly controlled entities and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the respective consolidated financial results that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the statement by the directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the Statement, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Group and of its



associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the respective Management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.


The respective company's management and Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates and jointly controlled entities.

#### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Results**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the statement as a whole is free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the statement.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- a. Identify and assess the risks of material misstatement of the statement, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3) (i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- d. Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial results or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and jointly controlled entities to cease to continue as a going concern.
- e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the statement, including the disclosures, and whether the statement represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- f. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial results/financial information of the entities within the Group and its associates and jointly controlled entities to express an opinion on the statement. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the statement of which we are the independent auditors. For the other entities included in the statement, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.



We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other entities included in the statement of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.


We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

We also performed procedures in accordance with the circular issued by the SEBI under Regulation 33(8) of the Listing Regulations, as amended, to the extent applicable.

#### Other Matters

1. The consolidated financial results include the audited Financial Results/statements and other financial information in respect of one subsidiary, whose Financial Results reflect Group's share of total assets of ₹ 3,47,030.08 crore as at 31<sup>st</sup> March 2020, Group's share of total revenue of ₹ 7,903.56 crore and ₹ 30,007.05 crore and Group's share of total net profit after tax of ₹ 473.99 crore and ₹ 4,972.27 crore for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 respectively, as considered in the consolidated Financial Results, which have been audited by their independent auditors. The statement also includes the audited Financial Results / Statements and other financial information in respect of two associates, whose Financial Results reflect Group's share of net profit of Nil for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2020, as considered in the Statement, which have been audited by their respective independent auditors. The independent auditors' reports on Financial Results of these entities have been furnished to us and our opinion on the statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors and the procedures performed by us are as stated in paragraph above.
2. The statement also include the unaudited Financial Results/statements and other unaudited financial information in respect of two subsidiaries, whose Financial Results reflect Group's share of total assets of ₹ 92.07 crore as at 31.03.2020, Group's share of total revenue of ₹ 16.96 crore and ₹ 118.07 crore and Group's share of total net profit after tax of ₹ 1.25 crore and ₹ 58.15 crore for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 respectively, as considered in the statement. The statements also include the unaudited financial Results / Statements and other financial information in respect of one Joint Venture Entity and thirteen associates, whose Financial Results reflect Group's share of net profit of ₹ 3.45 crore and ₹ 21.43 crore for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2020, as considered in the statements. These unaudited Financial Results/statements and other financial information have been approved and furnished to us by the Management and our opinion on the statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, associates and jointly controlled entities is based solely on such unaudited Financial Results/statements and other financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Board of directors, these Financial Results/statements and other financial information are not material to the Group.
3. The Group has recognized expected credit loss in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of documents provided by independent expert agencies appointed by the Holding Company and its Subsidiaries. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise, we have relied on the expected credit loss calculation as provided by the said independent expert agency.

Our opinion on the statement is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors referred to in para 1 above and the Financial Results/Financial Information certified by the Management referred to in para 2 and expert agency in para 3 above.






The Financial Results include the results for the quarter ended 31.03.2020 being the balancing figure between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the current financial year which were subject to limited review by us, as required under the listing regulations.

**FOR GANDHI MINOCHA & CO.**

*Chartered Accountants*

Firm's Registration No.: 000458N

  
**CA Manoj Bhardwaj**

*Partner*

Membership No. 098606

UDIN: 26098606 AAAA BU 7530

**Dated: 24<sup>th</sup> June, 2020**

**Place: New Delhi**

**FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES.**

*Chartered Accountants*

Firm's Registration No.: 000112N

  
**CA Ashok Kumar Jain**

*Partner*

Membership No. 090563

UDIN: 20090563 AAAA P 7517



| पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड   |   |                           |                            |                           |                           |                           |
|---|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ऊर्जा निधि 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली                                 |   |                           |                            |                           |                           |                           |
| दिनांक 31.03.2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए समेकित वित्तीय परिणाम का विवरण |   |                           |                            |                           |                           |                           |
| (करोड़ रु. में)   |   |                           |                            |                           |                           |                           |
| क्र.सं.   | विवरण   | समाप्त तिमाही             |                            |                           | समाप्त वर्ष               |                           |
|   |   | 31.03.2020<br>(अंकेक्षित) | 31.12.2019<br>(अनंकेक्षित) | 31.03.2019<br>(अंकेक्षित) | 31.03.2020<br>(अंकेक्षित) | 31.03.2019<br>(अंकेक्षित) |
|   | <b>परिचालनों से राजस्व</b>                              |                           |                            |                           |                           |                           |
| (i)   | ब्याज आय  | 16,044.21                 | 15,679.25                  | 14,182.81                 | 61,628.35                 | 53,427.41                 |
| (ii)  | लाभांश आय   | 68.21                     | 20.94                      | 48.14                     | 105.65                    | 76.63                     |
| (iii)   | शुल्क एवं कमीशन आय                                      | 14.24                     | 53.26                      | 25.35                     | 161.91                    | 374.11                    |
| (iv)  | अन्य परिचालनगत आय                                       | 66.07                     | 119.69                     | 107.04                    | 293.53                    | 227.50                    |
| <b>I.</b>   | <b>परिचालनों से कुल राजस्व</b>                          | <b>16,192.73</b>          | <b>15,873.14</b>           | <b>14,363.34</b>          | <b>62,189.44</b>          | <b>54,105.65</b>          |
| <b>II.</b>  | अन्य आय   | 61.92                     | 4.90                       | 24.58                     | 85.92                     | 51.18                     |
| <b>III.</b>   | <b>कुल आय (I+II)</b>                                    | <b>16,254.65</b>          | <b>15,878.04</b>           | <b>14,387.92</b>          | <b>62,275.36</b>          | <b>54,156.83</b>          |
|   | <b>व्यय</b>   |                           |                            |                           |                           |                           |
| (i)   | वित्तीय लागतें  | 10,490.62                 | 10,264.20                  | 9,146.29                  | 40,844.65                 | 34,626.80                 |
| (ii)  | निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)                | 3,084.78                  | 696.80                     | (160.23)                  | 4,991.32                  | 1,041.44                  |
| (iii)   | शुल्क एवं कमीशन व्यय                                    | 14.59                     | 6.69                       | 16.21                     | 36.20                     | 44.47                     |
| (iv)  | उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)                  | (318.53)                  | (162.32)                   | 1,045.49                  | (673.20)                  | 263.54                    |
| (v)   | वित्तीय लिखत पर क्षति                                   | 989.38                    | 28.26                      | (485.91)                  | 1,910.83                  | (625.73)                  |
| (vi)  | प्रदान की गई सेवाएं                                     | 31.39                     | 22.37                      | 33.06                     | 85.18                     | 85.15                     |
| (vii)   | कार्मिक हितलाभ व्यय                                     | 87.59                     | 94.48                      | 92.93                     | 399.72                    | 362.66                    |
| (viii)  | मूल्यहास एवं परिशोधन                                    | 7.59                      | 6.12                       | 4.51                      | 24.43                     | 15.49                     |
| (ix)  | निगमित सामाजिक दायित्व व्यय                             | 228.97                    | 39.53                      | 65.21                     | 356.44                    | 206.32                    |
| (x)   | अन्य व्यय   | 65.83                     | 54.24                      | 80.59                     | 228.55                    | 318.91                    |
| <b>IV.</b>  | <b>कुल व्यय</b>   | <b>14,682.21</b>          | <b>11,050.37</b>           | <b>9,838.15</b>           | <b>48,204.12</b>          | <b>36,339.05</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)</b> | <b>1,572.44</b>           | <b>4,827.67</b>            | <b>4,549.77</b>           | <b>14,071.24</b>          | <b>17,817.78</b>          |
| <b>VI.</b>  | <b>असाधारण मदें</b>                                     | -                         | -                          | -                         | -                         | -                         |
| <b>VII.</b>   | संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स में लाभ/(हानि) का शेयर       | 3.45                      | 6.56                       | 30.97                     | 21.43                     | 44.25                     |
| <b>VIII.</b>  | <b>कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)+VII.</b>                  | <b>1,575.89</b>           | <b>4,834.23</b>            | <b>4,580.74</b>           | <b>14,092.67</b>          | <b>17,862.03</b>          |
|   | <b>कर व्यय:</b>   |                           |                            |                           |                           |                           |
|   | (1) वर्तमान कर:   |                           |                            |                           |                           |                           |
|   | वर्तमान वर्ष  | 569.75                    | 933.18                     | 1,089.23                  | 3,004.98                  | 4,182.75                  |
|   | पूर्ववर्ती वर्ष   | 18.85                     | 53.87                      | (12.06)                   | 83.02                     | (12.75)                   |
|   | (2) आस्थगित कर  | 293.58                    | 460.46                     | 112.30                    | 1,527.42                  | 1,051.76                  |
| <b>IX.</b>  | <b>कुल कर व्यय</b>                                      |                           |                            |                           |                           |                           |

|              |   |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|              |   | <b>882.18</b>   | <b>1,447.51</b> | <b>1,189.47</b> | <b>4,615.42</b> | <b>5,221.76</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>जारी परिचलनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)</b>                              | <b>693.71</b>   | <b>3,386.72</b> | <b>3,391.27</b> | <b>9,477.25</b> | <b>12,640.27</b> |
| <b>XI.</b>   | <b>बंद परिचलनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)</b>   | -               | -               | -               | -               | -                |
| <b>XII.</b>  | <b>अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचलनों से) (X+XI)</b>                       | <b>693.71</b>   | <b>3,386.72</b> | <b>3,391.27</b> | <b>9,477.25</b> | <b>12,640.27</b> |
| <b>XIII.</b> | <b>अन्य व्यापक आय</b>   |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>(क)</b>   | (i) मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा                        |                 |                 |                 |                 |                  |
|              | - परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन   | (13.20)         | (3.17)          | (34.78)         | (7.96)          | (23.00)          |
|              | - इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)                                       | (301.35)        | 112.62          | (79.92)         | (416.31)        | (202.25)         |
|              | - इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर | -               | 0.02            | (0.32)          | (0.30)          | (0.13)           |
|              | (ii) मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा      |                 |                 |                 |                 |                  |
|              | - परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन   | 2.86            | 0.26            | 9.75            | 0.80            | 8.46             |
|              | - इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)                                       | (0.40)          | 0.40            | 0.12            | 12.39           | (0.68)           |
|              | - इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर | 0.08            | (0.10)          | (0.04)          | 0.05            | -                |
|              | <b>उप कुल (क)</b>   | <b>(312.01)</b> | <b>110.03</b>   | <b>(105.19)</b> | <b>(411.33)</b> | <b>(217.60)</b>  |
| <b>(ख)</b>   | (i) मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा                             |                 |                 |                 |                 |                  |
|              | -नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग                       | (369.06)        | 33.15           | (45.07)         | (348.86)        | (77.08)          |
|              | - हैजिंग रिसर्व की लागत   | (273.61)        | -               | -               | (273.61)        | -                |
|              | - इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर | -               | -               | -               | (3.94)          | -                |
|              | (ii) मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा           |                 |                 |                 |                 |                  |
|              | - नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग                      | 92.89           | (8.35)          | 15.74           | 80.27           | 26.93            |
|              | - हैजिंग रिसर्व की लागत   | 68.86           | -               | -               | 68.86           | -                |
|              | - इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर | (0.80)          | -               | -               | -               | -                |
|              | <b>उप कुल (ख)</b>   | <b>(481.72)</b> | <b>24.80</b>    | <b>(29.33)</b>  | <b>(477.28)</b> | <b>(50.15)</b>   |
|              | <b>अन्य व्यापक आय (क+ख)</b>   | <b>(793.73)</b> | <b>134.83</b>   | <b>(134.52)</b> | <b>(888.61)</b> | <b>(267.75)</b>  |
| <b>XIV.</b>  | <b>अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)</b>   | <b>(100.02)</b> | <b>3,521.55</b> | <b>3,256.75</b> | <b>8,588.64</b> | <b>12,372.52</b> |
|              | <b>निम्नलिखित के कारण लाभ:</b>  |                 |                 |                 |                 |                  |
|              | - कंपनी के स्वामी   | 469.20          | 2,597.24        | 2,797.95        | 7,122.13        | 9,920.86         |
|              | - गैर-नियंत्रक ब्याज  | 224.51          | 789.48          | 593.32          | 2,355.12        | 2,719.41         |
|              |   | <b>693.71</b>   | <b>3,386.72</b> | <b>3,391.27</b> | <b>9,477.25</b> | <b>12,640.27</b> |
|              | <b>निम्नलिखित के कारण अन्य व्यापक आय:</b>   |                 |                 |                 |                 |                  |
|              | - कंपनी के स्वामी   | (543.15)        | 108.05          | (115.84)        | (626.28)        | (239.05)         |
|              | - गैर-नियंत्रक ब्याज  | (250.58)        | 26.78           | (18.68)         | (262.33)        | (28.70)          |
|              |   | <b>(793.73)</b> | <b>134.83</b>   | <b>(134.52)</b> | <b>(888.61)</b> | <b>(267.75)</b>  |

|  | निम्नलिखित के कारण कुल व्यापक आय:  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | - कंपनी के स्वामी  | (73.95)         | 2,705.29        | 2,682.11        | 6,495.85        | 9,681.81         |
|  | - गैर-नियंत्रक ब्याज   | (26.07)         | 816.26          | 574.64          | 2,092.79        | 2,690.71         |
|  |  | <b>(100.02)</b> | <b>3,521.55</b> | <b>3,256.75</b> | <b>8,588.64</b> | <b>12,372.52</b> |
| <b>XV.</b>   | प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)                          | 2,640.08        | 2,640.08        | 2,640.08        | 2,640.08        | 2,640.08         |
| <b>XVI.</b>  | अन्य इक्विटी<br>(31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)                          | लागू नहीं       | लागू नहीं       | लागू नहीं       | 46,759.72       | 44,481.17        |
| <b>XVII.</b>   | <b>मूल एवं तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर अर्जन<br/>(प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए):</b> |                 |                 |                 |                 |                  |
|  | (1) जारी परिचालनों के लिए (₹ में)  | 1.78            | 9.84            | 10.60           | 26.98           | 37.58            |
|  | (2) बंद परिचालनों के लिए (₹ में)   | -               | -               | -               | -               | -                |
|  | (3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (₹ में)  | 1.78            | 9.84            | 10.60           | 26.98           | 37.58            |
| * तिमाही एवं नौ माह के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।   |  |                 |                 |                 |                 |                  |
| समेकित वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें। |  |                 |                 |                 |                 |                  |

| समेकित वित्तीय परिणाम के लिए टिप्पणी:     |  |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1. परिसंपत्ति एवं देयताओं का समेकित विवरण |  |                   |                   |
|   |  | (करोड़ रुपए में)  |                   |
| क्र.सं.                                   | विवरण  | 31.03.2020 तक     | 31.03.2019 तक     |
|   |  | (अंकेक्षित)       | (अंकेक्षित)       |
|   | <b>परिसंपत्तियां</b>                                   |                   |                   |
| <b>1</b>                                  | <b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>                           |                   |                   |
| (क)                                       | नकदी एवं नकदी समतुल्य                                  | 1,905.21          | 726.64            |
| (ख)                                       | नकदी एवं नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक में जमा राशि    | 2,282.96          | 15,650.40         |
| (ग)                                       | डेरिवेटिव वित्तीय लिखत                                 | 5,182.27          | 2,370.56          |
| (घ)                                       | व्यापार से आय  | 137.31            | 172.13            |
| (ङ)                                       | ऋण   | 646,196.11        | 573,661.28        |
| (च)                                       | निवेश (इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखाबद्ध से अन्य)    | 3,853.72          | 4,122.38          |
| (छ)                                       | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां                             | 27,462.12         | 23,712.97         |
|   | <b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)</b>                   | <b>687,019.70</b> | <b>620,416.37</b> |
| <b>2</b>                                  | <b>गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां</b>                       |                   |                   |
| (क)                                       | वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)                        | 1,138.33          | 800.94            |
| (ख)                                       | आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)                        | 5,005.31          | 6,369.74          |
| (ग)                                       | निवेश संपत्ति  | 0.01              | 0.01              |
| (घ)                                       | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर                             | 186.79            | 186.45            |
| (ङ)                                       | कार्य प्रगति पर पूंजी                                  | 287.62            | 196.94            |
| (च)                                       | विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां                         | 0.77              | 1.59              |
| (छ)                                       | अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां                              | 9.23              | 9.18              |
| (ज)                                       | राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां                              | 42.07             | -                 |
| (झ)                                       | अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां                         | 263.94            | 393.50            |
| (ट)                                       | इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखाबद्ध निवेश              | 549.90            | 481.35            |
|   | <b>कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)</b>               | <b>7,483.97</b>   | <b>8,439.70</b>   |
| <b>3</b>                                  | <b>बिक्री के लिए के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां</b> |                   |                   |
|   |  | 16.98             | 12.66             |
|   | <b>कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)</b>                       | <b>694,520.65</b> | <b>628,868.72</b> |
|   | <b>देयताएं एवं इक्विटी</b>                             |                   |                   |
|   | <b>देयताएं</b>   |                   |                   |
| <b>1</b>                                  | <b>वित्तीय देयताएं</b>                                 |                   |                   |
| (क)                                       | डेरिवेटिव वित्तीय लिखत                                 | 1,925.55          | 664.99            |
| (ख)                                       | व्यापार भुगतान-योग्य                                   |                   |                   |
|   | (i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की कुल बकाया देय राशि | 0.15              |                   |

|          |  |                   |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|
|          |  |                   | 2.65              |
|          | (ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से अन्य क्रेडिटर्स की कुल बकाया देय राशि               | 53.07             | 72.26             |
| (ग)      | ऋण प्रतिभूतियां  | 441,765.90        | 398,352.00        |
| (घ)      | ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)   | 140,666.72        | 127,007.23        |
| (ङ)      | अधीनस्थ देयताएं  | 14,130.60         | 14,128.46         |
| (च)      | अन्य वित्तीय देयताएं   | 29,177.04         | 24,574.28         |
|          | <b>कुल वित्तीय देयताएं (1)</b>   | <b>627,719.03</b> | <b>564,801.87</b> |
|          |  |                   |                   |
| <b>2</b> | <b>गैर-वित्तीय देयताएं</b>   |                   |                   |
| (क)      | वर्तमान कर देयताएं (निवल)  | 67.40             | 5.74              |
| (ख)      | प्रावधान   | 374.32            | 366.81            |
| (ग)      | अन्य गैर-वित्तीय देयताएं   | 193.85            | 209.95            |
|          | <b>कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)</b>   | <b>635.57</b>     | <b>582.50</b>     |
|          |  |                   |                   |
| <b>3</b> | <b>बिक्री के लिए के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी देयताएं</b> | 0.68              | 0.08              |
|          |  |                   |                   |
|          | <b>कुल देयताएं (1+2+3)</b>   | <b>628,355.28</b> | <b>565,384.45</b> |
|          |  |                   |                   |
| <b>4</b> | <b>इक्विटी</b>   |                   |                   |
| (क)      | इक्विटी शेयर पूंजी   | 2,640.08          | 2,640.08          |
| (ख)      | अन्य इक्विटी   | 46,759.72         | 44,481.17         |
|          | <b>कंपनी के स्वामियों के कारण इक्विटी (क+ख)</b>  | <b>49,399.80</b>  | <b>47,121.25</b>  |
| (ग)      | गैर-नियंत्रक ब्याज   | 16,765.57         | 16,363.02         |
|          | <b>कुल इक्विटी (4)</b>   | <b>66,165.37</b>  | <b>63,484.27</b>  |
|          |  |                   |                   |
|          | <b>कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3+4)</b>   | <b>694,520.65</b> | <b>628,868.72</b> |

2. दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | विवरण   | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष |
|---------|---|---------------------------|---------------------------|
| I.      | परिचालन संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :-                           |                           |                           |
|         | कर पूर्व लाभ  | 14,092.67                 | 17,862.03                 |
|         | <b>निम्नलिखित के लिए समायोजन :</b>                                    |                           |                           |
|         | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विमान्यता पर हानि (निवल)                | 2.66                      | 1.23                      |
|         | निवेश की बिक्री पर हानि/(लाभ)   | (3.16)                    | -                         |
|         | मूल्यहास एवं परिशोधन  | 24.43                     | 15.49                     |
|         | जीरो कूपन बॉण्ड एवं वाणिज्यिक पेपरों पर ब्याज व्यय                    | 898.53                    | 363.04                    |
|         | अप्राप्त विदेशी मुद्रा अंतरण हानि/(लाभ)                               | 5,250.80                  | 1,077.58                  |
|         | उचित मूल्य में निवल परिवर्तन  | (657.73)                  | 266.54                    |
|         | ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर का प्रभाव                                    | 59.05                     | (9.14)                    |
|         | वित्तीय लिखतों पर क्षति   | 1,910.83                  | (625.73)                  |
|         | निवेशों और अन्य पर ब्याज आय   | (437.36)                  | (505.59)                  |
|         | ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज   | 1.35                      | 3.46                      |
|         | आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान                   | 0.20                      | 9.56                      |
|         | आधिक्य देयताओं का प्रतिलेखन   | (0.48)                    | (1.68)                    |
|         | सेवा-निवृत्ति हितलाभ आदि के लिए प्रावधान                              | 44.44                     | 56.09                     |
|         | लाभांश आय   | (105.65)                  | (76.63)                   |
|         | ऋणों/ऋण प्रतिभूतियों/अधीनस्थ देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर              | (125.75)                  | (788.63)                  |
|         | आयकर रिफंड पर ब्याज   | (0.66)                    | (8.29)                    |
|         | लीज देयता पर ब्याज व्यय   | 0.77                      | -                         |
|         | अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय  | 0.21                      | -                         |
|         | इकिटी विधि का उपयोग करके लेखाबद्ध संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का शेयर | (21.43)                   | (44.25)                   |
|         | <b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ:</b>                | <b>20,933.72</b>          | <b>17,595.09</b>          |
|         | <b>वृद्धि/ कमी :</b>  |                           |                           |
|         | ऋण (निवल)   | (73,762.52)               | (78,082.12)               |
|         | अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां                            | 8,730.00                  | (27,652.25)               |
|         | डेरिवेटिव   | (912.65)                  | (1,611.07)                |
|         | अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान                     | 5,631.70                  | 14,044.08                 |

|             |   |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             | <b>कर पूर्व परिचालनों से नकदी प्रवाह</b>                                    | <b>(39,379.75)</b> |                    | <b>(75,706.27)</b> |                    |
|             | प्रदत्त आयकर  | (3,385.85)         |                    | (4,626.89)         |                    |
|             | आयकर रिफंड  | 75.70              |                    | 81.34              |                    |
|             | <b>परिचालन संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>                        |                    | <b>(42,689.90)</b> |                    | <b>(80,251.82)</b> |
| <b>II.</b>  | <b>निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:</b>                         |                    |                    |                    |                    |
|             | संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान से आय                                 | 1.02               |                    | 0.28               |                    |
|             | संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की खरीद (सीडबल्यूआईपी और पूंजी अग्रिम सहित)     | (130.52)           |                    | (99.46)            |                    |
|             | सहायक कंपनियों में निवेश  | -                  |                    | (14,500.00)        |                    |
|             | निवेश पर ब्याज आय   | 487.04             |                    | 411.15             |                    |
|             | निवेश पर लाभांश   | 105.65             |                    | 76.63              |                    |
|             | अन्य निवेशों में वृद्धि/कमी   | 6.62               |                    | 648.39             |                    |
|             | <b>निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी</b>                       |                    | <b>469.81</b>      |                    | <b>(13,463.02)</b> |
| <b>III.</b> | <b>वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :</b>                                  |                    |                    |                    |                    |
|             | बॉण्ड जारी करना (प्रीमियम सहित) (रीडेंप्शन का निवल)                         | 27,537.63          |                    | (4,737.02)         |                    |
|             | दीर्घावधि ऋणों का निर्मोचन (पुनर्भुगतान का निवल)                            | 16,045.23          |                    | 60,028.55          |                    |
|             | विदेशी मुद्रा ऋणों का निर्मोचन (पुनर्भुगतान का निवल)                        | 27,911.51          |                    | 13,353.18          |                    |
|             | अधीनस्थ देयताओं का निर्मोचन (रीडेंप्शन का निवल)                             | 0.00               |                    | 7,562.70           |                    |
|             | वाणिज्यिक पेपरों का निर्मोचन (पुनर्भुगतान का निवल)                          | (15,270.30)        |                    | 7,113.04           |                    |
|             | कार्यशील मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट का निर्मोचन (पुनर्भुगतान का निवल) | (8,563.96)         |                    | 13,357.17          |                    |
|             | अदावी बॉण्ड (निवल)  | 0.59               |                    | (2.78)             |                    |
|             | अदावी लाभांश (निवल)   | 0.32               |                    | 0.53               |                    |
|             | लीज देयता का भुगतान   | (1.41)             |                    | -                  |                    |
|             | अंतरिम लाभांश का भुगतान   | (3,534.68)         |                    | (2,511.50)         |                    |
|             | निगमित लाभांश कर का भुगतान  | (726.27)           |                    | (547.44)           |                    |
|             | <b>वित्तीय गतिविधियों से निवल अंतर-प्रवाह</b>                               |                    | <b>43,398.66</b>   |                    | <b>93,616.44</b>   |
|             | <b>नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी</b>                            |                    | <b>1,178.57</b>    |                    | <b>(98.40)</b>     |
|             | जोड़ें: वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नकदी एवं नकदी समतुल्य                    |                    | 726.64             |                    | 825.04             |
|             | <b>वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>                        |                    | <b>1,905.21</b>    |                    | <b>726.64</b>      |
|             | <b>वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्यौरा :</b>            |                    |                    |                    |                    |
|             | i) बैंक में जमा राशि (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति के)                  |                    |                    |                    |                    |



|  |  |          |                 |        |               |
|--|--|----------|-----------------|--------|---------------|
|  | चालू खाते में  | 1,380.56 |                 | 369.41 |               |
|  | सावधि जमा खाते में                                       | 524.59   | 1,905.15        | 357.22 | 726.63        |
|  | ii) पोस्टेज एवं इंप्रेस्ट सहित चेक, ड्राफ्ट              |          | 0.06            |        | 0.01          |
|  | <b>वित्तीय वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य</b> |          | <b>1,905.21</b> |        | <b>726.64</b> |

| 3       | समूह के समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 24.06.2020 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। इनकी सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं 52 के अनुसार कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है।   |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------|-----------|------------|----|----------------------------------|--------|--------|
| 4       | वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित इंड एसएस और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।  |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 5       | इंड एसएस 109 के अनुसार कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है   |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
|         | (करोड़ रुपए में)   |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
|         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>31.03.2020 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण</td> <td>49,127.25</td> <td>49,888.75</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता</td> <td>25,300.59</td> <td>24,900.60*</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)</td> <td>51.50%</td> <td>49.91%</td> </tr> </tbody> </table>   | क्र.सं.       | विवरण         | 31.03.2020 तक | 31.03.2019 तक | क) | क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण | 49,127.25 | 49,888.75 | ख) | अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता | 25,300.59 | 24,900.60* | ग) | क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क) | 51.50% | 49.91% |
| क्र.सं. | विवरण  | 31.03.2020 तक | 31.03.2019 तक |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| क)      | क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण   | 49,127.25     | 49,888.75     |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| ख)      | अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता   | 25,300.59     | 24,900.60*    |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| ग)      | क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)   | 51.50%        | 49.91%        |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
|         | * प्रतिबद्धताओं पर क्षति को शामिल करने के लिए पुनःसमूहित किया गया  |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 6       | विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।  |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 7       | कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने दिनांक 30.03.2019 के कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियमावली, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके दिनांक 01.04.2019 से इंड एसएस 116 – 'लीज' को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप 45.84 करोड़ रुपए का 'राइट टू यूज एसेट' और 17.17 करोड़ रुपए की 'लीज देयता' को मान्यता मिली है। दिनांक 31.03.2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लाभ पर प्रभाव भौतिक नहीं हैं।   |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 8       | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा यथा स्थापित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमत विकल्प का उपयोग किया है। तदनुसार, कंपनी ने आयकर के लिए प्रावधान को मान्यता दी गई है तथा धारा 115बीए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता को पुनः मापा है।  |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 9       | दिनांक 31.03.2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में एक सहायक कंपनी और दो एसोसिएट्स के अंकेक्षित परिणाम और दो सहायक कंपनियों, तेरह एसोसिएट्स एवं एक संयुक्त उद्यम एंटीटी के अंकेक्षित परिणाम शामिल हैं। इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एंटीटी और एसोसिएट्स के वित्तीय परिणाम इंड एसएस 110 – 'समेकित वित्तीय विवरण', इंड एसएस 111 – 'संयुक्त व्यवस्थाएं' और इंड एसएस 28 – 'एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम' के अनुसार समेकित किए गए हैं।  |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 10      | सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 23(9) के अंतर्गत अपेक्षानुसार, दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आधार पर संबंधित पक्षकार लेन-देन का प्रकटीकरण <b>अनुलग्नक- 'ख'</b> में दिया गया है।   |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 11      | इंड एसएस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, समूह के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है – विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एसएस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।   |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 12      | वैश्विक स्तर पर और भारत में कोरोना वाइरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। दिनांक 11.03.2020 को कोविड-19 प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक एवं भारतीय आर्थिक गतिविधियों में बेहद अड़चन उत्पन्न हुई हैं। समूह द्वारा अनुकूल रीति से व्यवसाय परिचालनों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी गई है। समूह का मानना है कि इस प्रकोप का प्रभाव उसके व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर नहीं पड़ेगा। विवरण <b>अनुलग्नक- 'ग'</b> में संलग्न है। |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 13      | दिनांक 31.03.2020 और 31.03.2019 को समाप्त तिमाहियों के आंकड़े दिनांक 31.03.2020 और 31.03.2019 को समाप्त वर्षों के लिए अंकेक्षित आंकड़ों तथा दिनांक 31.12.2019 और 31.12.2018 को समाप्त नौ माह के लिए अंकेक्षित आंकड़ों के बीच क्रमशः संतुलित आंकड़े हैं।  |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
| 14      | पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।  |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |
|         | <p>स्थान: नई दिल्ली<br/>तारीख: 24.06.2020</p> <p style="text-align: right;">आर.एस. ढिल्लों<br/>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br/>डीआईएन- 00278074</p>  |               |               |               |               |    |                        |           |           |    |                            |           |            |    |                                  |        |        |

समेकित आधार पर दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन

(करोड़ रुपए में)

| विवरण                                       | राशि        |
|---|-------------|
| <b>(i) एसोसिएट्स</b>                        |             |
| एसोसिएट्स को अग्रिम                         | 3.59        |
| एसोसिएट्स से अग्रिमों (ब्याज सहित) की वसूली | 14.92       |
| एसोसिएट्स को अग्रिमों पर ब्याज आय           | 21.12       |
| एसोसिएट्स से प्राप्त अग्रिम                 | 8.65        |
| एसोसिएट्स से अग्रिमों पर ब्याज व्यय         | 5.07        |
| एसोसिएट के अंतरण पर आय                      | 59.92       |
| अन्य  | 5.95        |
| <b>(ii) संयुक्त उद्यम एंटीटी</b>            | <b>0.74</b> |
| <b>(iii) समूह के ट्रस्ट/फंड/फाउंडेशन</b>    |             |
| वर्ष के दौरान किए गए अंशदान                 | 39.49       |
| अन्य  | 9.13        |
| <b>(iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक</b>         |             |
| अल्पावधि कार्मिक हितलाभ (क)                 | 6.15        |
| रोजगार-पश्चात हितलाभ (ख)                    | 0.64        |
| अन्य दीर्घावधि हितलाभ (ग)                   | 0.33        |
| <b>उप कुल (क+ख+ग)</b>                       | <b>7.12</b> |
| ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान/वसूली        | 0.11        |
| निदेशकों की सिटिंग फीस                      | 0.33        |
| अन्य  | 0.03        |
| <b>(v) अन्य संबद्ध पक्षकार</b>              | <b>4.82</b> |

## समूह पर कोविड 19 का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर और भारत में कोरोना वाइरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न हुआ है। सरकार एवं विविध नियामकों ने वाइरस के प्रसार को रोकने और आर्थिक अवरोधों के प्रभाव को कम करने के लिए तब से कई उपाय लागू किए गए हैं। तथापि, समूह का मानना है कि इस प्रकोप का प्रभाव उसके व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर नहीं पड़ेगा।

अपने सुदृढ़ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी के साथ, समूह ने अपने कार्मिकों को "घर से काम" करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने कंपनी के कार्मिकों को बिजनेस की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम बनाया। मार्च 2020 के पिछले पखवाड़े के दौरान, समूह ने विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त-पोषण करने के लिए लगभग 17,476 करोड़ रुपए का संवितरण किया, जो महामारी से सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के प्रयास की गवाही देता है।

आरबीआई ने इस अवधि के दौरान ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने के लिए कई दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। कोविड-19 नियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई के दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएफसी और आरईसीएल ने पात्र ऋणकर्ताओं को दिनांक 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच पड़ने वाली नियत किस्तों के भुगतान पर अधिस्थगन का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई ने दिनांक 23.05.2020 के परिपत्र के माध्यम से ऋण अधिस्थगन की अवधि को अगले 3 महीने अर्थात् दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया है।

इसके अतिरिक्त, अपने कोविड-19 पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार गारंटीकृत ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को 90,000 करोड़ रुपए के लिक्विडिटी इंजेक्शन की भी घोषणा की है, ताकि सीपीएसई जेनको/ट्रांसको, आईपीपी और आरई उत्पादकों की बकाया देय राशि को क्लियर किया जा सके।

समूह अपनी निधियन जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह तैयार है। वर्तमान में, समूह के पास विभिन्न बैंकों से पर्याप्त संख्या में अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट हैं। समूह की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकता है।

इस प्रकार, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का अपने परिचालनों को अनुरक्षित करने और समूह हेतु चिंता का आकलन करने के लिए समूह की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, समूह भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

इसके अतिरिक्त, अपनी सीएसआर पहल के भाग के रूप में समूह ने मार्च एवं अप्रैल, 2020 माह में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए पीएम केयर्स फंड में 350 करोड़ रुपए का अंशदान किया। इसके साथ ही, कार्मिकों ने भी उक्त के लिए अपने एक दिन के वेतन का अंशदान किया है। समूह द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के एक भाग के रूप में जिला प्रशासनों को वित्तीय सहायता, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सहायता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने जैसी विभिन्न अन्य अखिल भारतीय पहल भी की गई हैं।